# जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ

(सामान्य शाखा)

---

## आम सूचना

सरायकेला–खरसावाँ जिला के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, सरायकेला–खरसावाँ में गृह रक्षकों के स्वीकृत बल में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध कुल–446 ग्रामीण/शहरी पुरूष/महिला (जिसमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित है) गृह रक्षकों का नवनामांकन किया जाना है। ग्रामीण/शहरी गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु अभ्यर्थियों की आयु दिनांक–01.01.2025 को न्यूनतम 19 (उन्नीस) वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 (चालीस) वर्ष निर्धारित है। ग्रामीण गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम उत्तीर्ण एवं शहरी गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण निर्धारित है। गृह रक्षकों के नवनामांकन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच, लिखित परीक्षा एवं चिकित्सकीय जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु विज्ञापन सूचना संभावित रूप से 15 (पंद्रह) दिनों के पश्चात् प्रकाशित की जायेगी, जिसमें नवनामांकन से संबंधित प्रखण्डवार महिला एवं पुरूश गृह रक्षकों के रिक्तियों की संख्या, अर्हत्ता, चयन प्रक्रिया, आवेदन जमा करने की तिथि एवं प्रक्रिया आदि का उल्लेख होगा।

अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र (ऑनलाईन), जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाईन) एवं अन्य दस्तावेजों को ससमय तैयार कर नवनामांकन हेतु तैयार अवस्था में रहेंगे। नवनामांकन हेतु ऑनलाईन विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं अन्य विवरणी वेबसाईट https://recruitment.jharkhand.gov.in पर शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे।

उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ

JHARNEXT.COM